न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 2013 निगरानी — R 295-II/13

श्रीमती किरणलता पुत्री श्री भगवती प्रसाद श्रीवास्तव
निवासी ग्राम भदेरा कृषक ग्राम धतूरा तेहसील पोहरी
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

——— आवेदिका

बनाम

(1) मथुरा प्रसाद बैरागी पुत्र बद्री प्रसाद बैरागी
निवासी ग्राम धतूरा, पर० पोहरी
जिला शिवपुरी—3

(2) म० प्र० शासन

——— अनावेदकगण

<u>पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.08.2008 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय पोहरी जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 29/04—05 व उनवान मथुरा प्रसाद बनाम श्रीमती किरणलता आदि ।</u>

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

(A) यह कि, प्रकरण में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 127/2 रकवा 0.360 हैक्टर एवं सर्वे क्रमांक 131 रकवा 1.200 हैक्टर भूमि स्थित ग्राम धतूरा तेहसील पोहरी जिला शिवपुरी की शासकीय भूमि के सम्बन्ध में आवेदिका ने नायब तेहसीलदार टप्पा बैराढ़ की न्यायालय में म. प्र. कृषि प्रयोजन के लिये की जा रही भूमि

क्रमशः.................2

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

किरणलता / मथुरा प्रसाद

प्रकरण क्रमांक निग.295-दो/13 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26/3/16	आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पोहरी जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 29/2004-05 आदेश दिनांक 14-8-2008 से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि सर्वे नं. 127/2 रकवा 0.360 हैक्टेयर एवं सर्वे नं. 131 रकवा 1.200 हैक्टेयर भूमि ग्राम धतूरा तहसील पोहरी जिला शिवपुरी की शासकीय भूमि पर नायब तहसीलदार द्वारा आवेदिका के हित में आदेश दिनांक 12-12-1996 को पट्टा प्रदाय किया गया था, जिसके विरुद्ध अनावेदक क्रं.-1 मथुरा प्रसाद द्वारा अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में लगभग 8 वर्ष विलम्ब से अपील की। अनुविभागीय अधिकारी ने अपील में आदेश दिनांक 14-8-2008 को नायब तहसीलदार न्यायालय का आदेश दिनांक 12-12-1996 निरस्त कर आवेदिका का पट्टा भी निरस्त कर दिया एवं पटवारी को अमल का आदेश भी दिया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 14-8-2008 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार का आदेश निरस्त कर उसके पटवारी अभिलेख में अमल करने	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस कर रिकार्ड रूम में दाखिल करने तक का आदेश दिया है। इस प्रकार यह आदेश अंतिम स्वरूप का है। आवेदक द्वारा उक्त आदेश की निगरानी प्रस्तुत की गई है जबकि उक्त आदेश अपील योग्य है। अतः निगरानी अग्राह्य की जाती है आवेदक सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। सदस्य	